

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— मु0अ0-4 (मु0)-4515/SCP-02-36/2014 - 748

/पटना, दिनांक-26/02/2021

प्रेषक,

संजय दूबे,
विशेष सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:-

मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उप शीर्ष मुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 2702 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित राशि के लिये स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उप शीर्ष मुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 2702 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये कॉलम-6 में अंकित राशि के लिये स्वीकृति दी जाती है।

योजनाशीर्ष 4515-एस0सी0पी0 अन्तर्गत अनुरक्षण की राशि का प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।						
मुख्य अभियंता-1 प्रक्षेत्र						
क्रमांक	कार्य प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	गया	गया जिला अन्तर्गत वजीरगंज प्रखंड में पुनावाँ मोड़ से कोल्हना रघुनाथपुर महादलित टोला तक पथ निर्माण (3.66 कि०मी०)	133.63400	3295/ 06.08.2012	11.35104	144.98504
		कुल	133.63400		11.35104	144.98504

- इस तरह से कॉलम-6 में अंकित पंचवर्षीय अनुरक्षण की कुल राशि 11.35104 (ग्यारह लाख पैतीस हजार एक सौ चार) लाख रुपये है।
- कॉलम-2 में अंकित कार्य प्रमंडलो के कार्यपालक अभियंता, कॉलम-3 में अंकित कार्यों के सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
- सारणी में अंकित योजनाओं के पंचवर्षीय अनुरक्षण के स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
- इस मद में बजट में राशि उपलब्ध होने के आधार पर व्यय किया जायेगा।
- राशि का व्यय एकरारनामा में निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत ही अनुमान्य होगा।

25/2/2021

7. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जाय।
8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि (2) दिनांक-03.01.2008 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय।
9. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
10. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
11. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
12. स्वीकृतिदेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।
13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या मु0अ0-4 (मु0)-4515/SCP-02-36/2014 के पृष्ठ-3 / टि0 पर दिनांक 18.2.2021 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

[Signature]
25/2/2021

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

पत्रांक-मु0अ0-4 (मु0)-4515/SCP-02-36/2014-748 / पटना, दिनांक-26/02/2021
प्रतिलिपि-गया जिला के कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
25/2/2021

विशेष सचिव

पत्रांक-मु0अ0-4 (मु0)-4515/SCP-02-36/2014-748 / पटना, दिनांक-26/02/2021
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, गया/जिला पदाधिकारी, गया/उप विकास आयुक्त, गया/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-1 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

[Signature]
25/2/2021
विशेष सचिव